



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082022-237909
CG-DL-E-04082022-237909

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 392]
No. 392]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 4, 2022/श्रावण 13, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 4, 2022/SHRAVANA 13, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

फा. सं. पीआर/115/15-डीडी/140/15/डीसी/678/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. ऋषि कपूर (सदस्यता संख्या 511912), हाउस नंबर डब्ल्यूई-55, रामा पार्क रोड, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110 059 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (4) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. ऋषि कपूर (सदस्यता संख्या 511912) के नाम को 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और 3,00,000/- रुपये (केवल तीन लाख रुपये) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 30 दिन के भीतर किया जाना है। अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. ऋषि कपूर (सदस्यता संख्या 511912) का नाम, 4 अगस्त, 2022 से 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./214/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

F. No. PR/115/15-DD/140/15/DC/678/2017: In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Rishi Kapoor (Membership No 511912), House No. WE-55, Rama Park Road, Mohan Garden, Uttam Nagar, NEW DELHI 110 059**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (4) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Rishi Kapoor (Membership No 511912)** from the Register of Members for a period of 05(Five) years and also imposed a fine of Rs. 3,00,000/-(Rupees Three Lakhs only) to be paid within 30 days of receipt of the order. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Rishi Kapoor (Membership No 511912)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 05(five) years with effect from 4th August, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./214/2022-23]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082022-237908
CG-DL-E-04082022-237908

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391]
No. 391]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 4, 2022/श्रावण 13, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 4, 2022/SHRAVANA 13, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

फा. सं. पीआर/219/18/डीडी/237/18/बीओडी/518/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन बोर्ड ने, सीए. जट्टा शंकर प्रसाद कुशवाहा (सदस्यता संख्या 543029), हाऊस नंबर डी-156, गली नंबर 6, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110 092 को, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित उसकी पहली अनुसूची के भाग 1 की मद (8), (9) और भाग 4 की मद (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. जट्टा शंकर प्रसाद कुशवाहा (सदस्यता संख्या 543029) के नाम को 15 (पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और 5,000/- रुपए (पांच हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 60 दिन की अवधि के भीतर किया जाना है। अतः पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. जट्टा शंकर प्रसाद कुशवाहा (सदस्यता संख्या 543029) का नाम, 4 अगस्त, 2022 से 15 (पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./213/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

F. No. PR/219/18/DD/237/18/BOD/518/2019.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Jatta Shankar Prasad Kushwaha (Membership No. 543029), H No. D-156, Gali No. 6, Laxmi Nagar, Delhi 110 092**, guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Items (8) and (9) of Part I and Item (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of **CA. Jatta Shankar Prasad Kushwaha (Membership No. 543029)** from the Register of Members for a period of 15(Fifteen) days and also imposed a fine of Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand) only to be paid within a period of 60 days. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Jatta Shankar Prasad Kushwaha (Membership No. 543029)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 15(Fifteen) days with effect from 4th August, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./213/2022-23]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082022-237907
CG-DL-E-04082022-237907

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390]
No. 390]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 4, 2022/श्रावण 13, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 4, 2022/SHRAVANA 13, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

फा. सं. पीआर/180/15/डीडी/172/15/बीओडी/235/2016.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन बोर्ड ने, सीए. मयूर बत्रा (सदस्यता संख्या 096613), 7 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110 001 को, पूर्वोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 1 की मद (5), (6), (7) और (11) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. मयूर बत्रा (सदस्यता संख्या 096613) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 60 दिन की अवधि के भीतर किया जाना है। अतः पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. मयूर बत्रा (सदस्यता संख्या 096613) का नाम, 4 अगस्त, 2022 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./212/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

F. No. PR/180/15/DD/172/15/BOD/235/2016.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Mayur Batra (Membership No. 096613), 7 Barakhamba Road, NEW DELHI 110 001**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Items (5),(6),(7) and (11) of Part I of the First Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of **CA. Mayur Batra (Membership No. 096613)** from the Register of Members for a period of 03(Three) months and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only to be paid within a period of 60 days. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Mayur Batra (Membership No. 096613) shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(Three) months with effect from 4th August, 2022.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./212/2022-23]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082022-237906
CG-DL-E-04082022-237906

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389]
No. 389]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 4, 2022/श्रावण 13, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 4, 2022/SHRAVANA 13, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

फा. सं. पीपीआर/पी/341/2017/डीडी/328/आईएनएफ/2017/बीओडी/491/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन बोर्ड ने, सीए. सुनील कुमार अग्रवाल (सदस्यता संख्या 075953), एम-52, राजीव नगर, रायपुर 492 007 को, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित उसकी पहली अनुसूची के भाग 4 की मद (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. सुनील कुमार अग्रवाल (सदस्यता संख्या 075953) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 60 दिन की अवधि के भीतर किया जाना है। अतः पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. सुनील कुमार अग्रवाल (सदस्यता संख्या 075953) का नाम, 4 अगस्त, 2022 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./211/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

F. No. PPR/P/341/2017/DD/328/INF/2017/BOD/491/2018.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Sunil Kumar Agrawal (Membership No. 075953), M-52, Rajeev Nagar, RAIPUR 492 007**, guilty of ‘Other Misconduct’ falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of **CA. Sunil Kumar Agrawal (Membership No. 075953)** from the Register of Members for a period of 01(One) month and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only to be paid within a period of 60 days. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Sunil Kumar Agrawal (Membership No. 075953)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 4th August, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./211/2022-23]